रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032026-271174
CG-DL-E-23032026-271174

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947
No. 88]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

प्रारंभिक अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

मामला संख्या: एडी (एनएसआर)-03/2025

सेतु आईडी: एडी/एनएसआर/17112025/01

नव प्रेषक समीक्षा

विषय: - चीन गणराज्य से उत्पन्न या निर्यात किए गए "सौर पैनलों/मॉड्यूलों के लिए एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम फ्रेम" पर लगाए गए डंपिंग विरोधी शुल्क के मामले में मेसर्स अनहुई क्रांट एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक) के लिए व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन के निर्धारण हेतु डंपिंग विरोधी नियमों के नियम 22 के तहत नव प्रेषक समीक्षा की शुरुआत।

फ़ा.सं. 7/28/2025-डीजीटीआर.—मामला संख्या एडी (एनएसआर)-03/2025: मेसर्स अनहुई क्रांट एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) (इसके बाद "अनहुई" के रूप में संदर्भित), चीन पीआर से संबंधित वस्तुओं का एक उत्पादक, ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अनुसार, समय-समय पर संशोधित और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए सामानों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियम, 1995 (इसके बाद एडी नियम के रूप में संदर्भित) के अनुसार, समय-समय पर संशोधित, नामित प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन पीआर से उत्पन्न

या निर्यात किए गए "सौर पैनलों/मॉड्यूलों के लिए एनोडाइज्ड एल्युमिनियम फ्रेम" के आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क के मामले में अपने व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन के निर्धारण का अनुरोध किया गया है। उक्त शुल्क प्राधिकरण द्वारा अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 6/07/2023-डीजीटीआर, दिनांक 29 जून 2024 के माध्यम से अनुशंसित किए गए थे और मूल एंटी-डंपिंग जांच में केंद्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 16/2024 - कस्टम (एडीडी) दिनांक 27 सितंबर 2024 के माध्यम से लगाए गए थे।

क. इसमें शामिल उत्पादक/निर्यातक।

1. वर्तमान जांच, अधिनियम और एडी नियमों के अनुसार प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन के संदर्भ में, मेसर्स अनहुई क्रांट एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक) द्वारा सौर पैनलों/मॉड्यूलों के लिए एनोडाइज्ड एल्युमिनियम फ्रेम के निर्यात से संबंधित है।

ख. नए उत्पादक और निर्यातक के संबंध में समीक्षा की शुरुआत।

2. एंटी-डंपिंग नियमों का नियम 22 इस प्रकार है:

> ***"नियम 22. मूल रूप से जांच न किए गए निर्यातकों के लिए डंपिंग मार्जिन*** *(1) "यदि कोई उत्पाद एंटी-डंपिंग शुल्क के अधीन है, तो नामित प्राधिकारी संबंधित निर्यातक देश के उन निर्यातकों या उत्पादकों के लिए व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन निर्धारित करने के उद्देश्य से आवधिक समीक्षा करेगा, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, बशर्ते कि ये निर्यातक या उत्पादक यह प्रदर्शित करें कि वे निर्यातक देश के उन निर्यातकों या उत्पादकों से संबंधित नहीं हैं जो उत्पाद पर एंटी-डंपिंग शुल्क के अधीन हैं।"*
>
> *(2) केंद्र सरकार इस नियम के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट समीक्षा अवधि के दौरान ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों से आयात पर अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के तहत डंपिंग-रोधी शुल्क नहीं लगाएगी:*
>
> *बशर्ते कि केंद्र सरकार अनंतिम मूल्यांकन का सहारा ले सकती है और यदि नामित प्राधिकारी ऐसा अनुशंसा करता है तो आयातक से गारंटी मांग सकती है और यदि ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप ऐसे उत्पादों या निर्यातकों के संबंध में डंपिंग का निर्धारण होता है, तो वह ऐसे मामलों में समीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से पूर्वव्यापी रूप से शुल्क लगा सकती है।*

3. इन एंटी-डंपिंग नियमों के तहत प्राधिकरण को संबंधित निर्यातक देश के किसी भी निर्यातक या उत्पादक के लिए व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन निर्धारित करने के उद्देश्य से समीक्षा शुरू करने की आवश्यकता है, जिसने पिछली जांचों की अवधि के दौरान भारत को संबंधित वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है और याचिकाकर्ता का निर्यातक देश के किसी भी निर्यातक या उत्पादक से कोई संबंध नहीं है, जिन पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया है।

4. मेसर्स अनहुई क्रांट एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक) ने एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 22 के तहत अपेक्षित जानकारी प्रदान की है। विशेष रूप से, उन्होंने कहा है कि जांच की मूल अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं हुआ था और न ही उनका संबंध संबंधित देश के किसी ऐसे निर्यातक या उत्पादक से है जिस पर मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होता है, और न ही वे किसी ऐसी इकाई से इस प्रकार जुड़े हैं जिससे व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन के निर्धारण पर कोई प्रभाव पड़े।

5. प्राधिकरण प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 22 के तहत निर्धारित शर्तें पूरी हो गई हैं, इसलिए वह चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात किए गए सौर पैनलों/मॉड्यूलों के लिए एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम फ्रेम के डंप किए गए आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क के संबंध में उनके व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के लिए एक नई शिपर समीक्षा जांच शुरू करने का निर्णय लेता है। यह जांच प्राधिकरण द्वारा अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 6/07/2023-

डीजीटीआर दिनांक 29 जून 2024 के माध्यम से की गई सिफारिशों और केंद्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 16/2024- कस्टम (एडीडी) दिनांक 27 सितंबर 2024 के माध्यम से मूल एंटी-डंपिंग मामले में लगाए गए शुल्क के अनुसरण में की जा रही है।

6. प्राधिकरण, सीमा शुल्क नियमों के नियम 22 के अनुसार और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 16/2024- कस्टम (एडीडी) दिनांक 27 सितंबर 2024 को ध्यान में रखते हुए, इस समीक्षा के पूरा होने तक मेसर्स अनहुई क्रांट एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा किए गए विषयगत माल के सभी निर्यातों पर अनंतिम मूल्यांकन की सिफारिश करता है।

ग. जांच की अवधि:

7. वर्तमान नए शिपपर समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025 तक है।

घ. सूचना प्रस्तुत करना

8. सभी इच्छुक पक्षों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपने आप को पंजीकृत करना अनिवार्य है। सभी संचार और प्रस्तुतियाँ इच्छुक पक्षों द्वारा उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामला आईडी ए.डी./एन.एस.आर./17112025/01 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुतियों का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस -शब्द प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

9. संबंधित देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित दूतावास के माध्यम से संबंधित देशों की सरकारों और भारत में संबंधित उत्पाद से जुड़े आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दाखिल कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस प्रारंभिक अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों में निर्धारित प्रारूप और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए।

10. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस आरंभिक अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि इस आरंभिक अधिसूचना में ऊपर पैरा (8) में उल्लिखित समय सीमा के भीतर है।

11. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले पक्ष को उसका एक गैर-गोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पक्षों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

12. संबंधित पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नजर रखें। संबंधित पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) पर नियमित रूप से जाएं।

ङ. समय सीमा

13. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी एडी/एनएसआर/17112025/01 के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए।

14. प्रत्येक आवेदन के दोनों संस्करण, गोपनीय संस्करण (सीवी) और गैर-गोपनीय संस्करण (एनसीवी), संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में मेसर्स अनहुई क्रांट एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक) द्वारा दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के प्राधिकरण द्वारा प्रसारित किए जाने या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अपूर्ण है, तो प्राधिकरण रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और एडी नियम, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

15. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।

च. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

16. यदि वर्तमान जांच में शामिल कोई भी पक्ष प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय रूप से कोई जानकारी प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो उसे नियमों के नियम 7(2) के अनुसार और प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किए गए संबंधित व्यापार नोटिसों के अनुसार, उस जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण भी साथ ही प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त का पालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियों को अस्वीकार किया जा सकता है।

17. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (जिसमें संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक शामिल हैं) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, प्रश्नावली के उत्तर सहित, गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने होंगे।

18. ऐसे सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'गैर-गोपनीय' अंकित होना चाहिए। प्राधिकरण को बिना इस प्रकार के चिह्नों के प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज को प्राधिकरण द्वारा 'गैर-गोपनीय' जानकारी माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पक्षों को ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

19. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभाव से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी जिसे सूचना प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी जिसे स्वभाव से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या ऐसी जानकारी जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, उसके प्रदाता को दी गई जानकारी के साथ यह स्पष्ट कारण बताना होगा कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

20. संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत सूचना का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की हूबहू प्रतिलिपि होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी को अनुक्रमित किया जाना चाहिए या (जहां अनुक्रमण संभव न हो) उसे हटा दिया जाना चाहिए। ऐसी सूचना को गोपनीयता के दावे वाली सूचना के अनुसार उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए। गैर-गोपनीय सारांश इतना विस्तृत होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का सार आसानी से समझा जा सके। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह बता सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है, और प्राधिकरण को यह समझाने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

21. इच्छुक पक्ष दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रचलन की तिथि से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

22. प्राधिकरण प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदान करने वाला व्यक्ति सूचना को सार्वजनिक करने या उसके सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकता है।

23. गोपनीयता के दावे पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस और नियमों के नियम 7 के अनुसार, इसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या पर्याप्त और उचित कारण विवरण के बिना प्रस्तुत की गई कोई भी याचिका प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड में नहीं ली जाएगी।

छ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

24. किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी गैर-गोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पक्षों के लिए SETU पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ज. असहयोग

25. यदि कोई भी हितधारक उचित अवधि के भीतर या इस आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे हितधारक को असहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझे।

अमिताभ कुमार, नियुक्त प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2026

Case No. AD (NSR)-03/2025

SETU ID: AD/NSR/17112025/01

(New Shipper Review)

Subject: - Initiation of New Shipper Review under Rule 22 of the Anti- Dumping Rules for determination of individual dumping margin for M/s Anhui Krant Aluminum Products Co., Ltd (Producer and Exporter) in the case of Anti-dumping duty imposed on "Anodized aluminium frames for solar panels/modules" originating in or exported from China PR.

F.No. 7/28/2025-DGTR.—Case No. AD (NSR)-03/2025: M/s. Anhui Krant Aluminum Products Co., Ltd (Producer) (hereinafter referred to as "Anhui"), a producer of the subject goods from China PR has filed an application in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the Act) as amended from time to time and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") requesting for determination of their individual dumping margin in the matter of anti-dumping duties levied on imports of "Anodized aluminium frames for solar panels/modules" originating in or exported from China PR.

The said duties were recommended by the Authority vide Final Findings Notification No. 6/07/2023-DGTR, dated 29th June 2024 and levied by the Central Government vide Customs Notification No. 16/2024 - Customs (ADD) dated 27th September 2024 in the original Anti Dumping investigation.

A. PRODUCER/EXPORTER INVOLVED

1. The present investigation relates to exports of Anodized aluminium frames for solar panels/modules by M/s Anhui Krant Aluminum Products Co., Ltd (Producer and Exporter) in terms of the application filed before the Authority in accordance with the Act and the AD Rules.

B. INITIATION OF REVIEW IN RESPECT OF NEW PRODUCER AND EXPORTER

2. Rule 22 of Anti-Dumping Rules states as under:

> ***"Rule 22. Margin of Dumping, for exporters not originally investigated*** *(1)"If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the antidumping duties on the product.* "
>
> *(2) The Central Government shall not levy anti-dumping duties under subsection (1) of section 9A of the Act on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:*
>
> *Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of the initiation of the review*."

3. These AD Rules thereby require the Authority to initiate review for the purpose of determining individual margin of dumping for any exporter or producer in the exporting country in question who has not exported the subject goods to India during the period of investigation of the earlier investigations and that the petitioner/s is/are not related to any of the exporters and producers in the exporting country who are subjected to the anti-dumping duty.

4. M/s. Anhui Krant Aluminum Products Co., Ltd (producer and exporter) has provided necessary information as required under Rule 22 of AD Rules. In particular, they have stated that there were no exports during the original period of investigation and that it is neither related to any exporter or producer in the subject country who is subject to the existing anti-dumping duty nor associated with any such entity in a manner that would affect the determination of an individual dumping margin.

5. The Authority, having been *prima facie* satisfied that the conditions as prescribed under Rule 22 of AD Rules are met with, hereby decides to initiate a New Shipper Review investigation for determination of their individual dumping margin in relation to the anti-dumping duties levied on dumped imports of Anodized aluminium frames for solar panels/modules originating in or exported from China PR in pursuance of the recommendations made by the Authority vide Final Findings Notification No. 6/07/2023-DGTR, dated 29th June 2024 and levied by the Central Government vide Customs Notification No. 16/2024-Custom (ADD) dated 27th

September 2024 in the original Anti Dumping case.

6. The Authority recommends provisional assessment on all exports of the subject goods made by M/s Anhui Krant Aluminum Products Co., Ltd till this review is completed, in accordance with Rule 22 of the AD Rules and having regard to Customs Notification No. 16/2024-Cus (ADD) dated 27th September 2024.

C. PERIOD OF INVESTIGATION:

7. The period of investigation for the purpose of the present New Shipper Review is January 2025 to December 2025 (12 Months).

D. **SUBMISSION OF INFORMATION**

8. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID AD/NSR/17112025/01. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

9. The known producers/exporters in subject countries, the government of subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

10. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification as mentioned in para (8) above.

11. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

12. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal(https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

E. **TIME LIMIT**

13. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID AD/NSR/17112025/01.

14. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by M/s Anhui Krant Aluminium Products Co. Ltd. (Producer and Exporter) would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

F. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

16. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

17. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

18. Such submissions must be clearly marked as ‘confidential’ or ‘non-confidential’ at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as ‘non-confidential’ information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

19. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

20. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

G. **INSPECTION OF PUBLIC FILE**

24. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

H. **NON-COOPERATION**

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.23 11:11:27 +05'30'